

betj

9/10  
no  
115

### सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारम्भ

सेवा में, \_\_\_\_\_

जन्म सूचना अधिकारी/सहायक जन्म सूचना अधिकारी महोदय

जहाँ से सूचना प्राप्त करनी हो कार्यालय/विभाग का नाम - राष्ट्रीय शकैरा संस्थान

पूरा पता : राष्ट्रीय शकैरा संस्थान कानपुर - 208017

आवेदक का नाम : दीपा शुक्ला

आवेदक का पता : उए/192 आछादनगर कानपुर - 208002

फोन/फैक्स/ई-मेल : \_\_\_\_\_

मांगी गयी सूचनाओं का विन्दुवाच विवरण

यह कि नरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शकैरा जैवोजीकी) के पद पर कार्यरत हैं। श्री नरेन्द्र देव ने दि. 13/03/1996 को आपके संस्थान में नौकरी-पारम्भ की थी। उस समय कानपुर कबल में उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कुल कितने मुकदमों पंजीकृत थे। क्या उन मुकदमों की जानकारी नरेन्द्र देव को आपके संस्थान को लिखे शपथ पत्र लिखित रूप में दी गई थी। शपथ पत्र/ शोकवाच पत्र की सत्यापित प्रति प्रेषित करें।

यदि सूचना किसी धारकवादी से सम्बन्धित हो तो उसका नाम एवं वर्ष अंकित करें।

मान्य - 1996

किसी एक को चिन्हित करें :  1. दस्तावेज की प्रतिलिपि चाहिए।


2. निरीक्षण करना है।


सूचना/जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे स्वयं आकर अथवा डाक द्वारा यह लिखें डाक द्वारा

यदि आवेदक BPL कार्ड धारक है अथवा गरीबी रेषा से नीचे जीवन जामन करता है तो जन्म कोर्ड भी शुल्क नहीं लगाना होगा। परन्तु BPL प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना होगी।

यदि सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क के 10 रुपये का बैंक श्रॉट/पोस्टल ऑर्डर बैंकर्स पे ऑर्डर/ट्रेजरी भुगतान/नकद (एक-त्रो चिन्हित करें) को साथ में संलग्न कर रहा है जिसका नं. 36.F.56685 दिनांक 05/05/16 है। धृपया समयान्तर्गत सूचनाये उपलब्ध करने की कृपा करें।

दिनांक - 07/05/16

  
आवेदक/हस्ताक्षर



संख्या:25(52)/2016/RTI/53

## राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई0एस0ओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  
(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512)2570575  
फैक्स : (0512) 2570247

कानपुर,दिनांक: 8.6.2016

सेवा में,

सुश्री दीपा शुक्ला  
3ए/192, आज़ाद नगर  
कानपुर नगर-208018

जारी  
संख्या 06  
दिनांक 10/06/16

विषय: जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

आपके जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2016 के आवेदन, जिसमें आपने संस्थान के कर्मचारी श्री नरेन्द्र देव, पुत्र श्री राजाराम, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, (शर्करा प्रौद्योगिकी) से संबंधित सूचना मांगी है, का उत्तर/सूचना निम्नानुसार है :-

- (1) कार्यभार ग्रहण करने के समय श्री नरेन्द्र देव के विरुद्ध कानपुर मण्डल में कितने मुकदमे पंजीकृत थे, इसकी जानकारी संस्थान के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।
- (2) श्री नरेन्द्र देव द्वारा संस्थान को किसी भी मुकदमे की सूचना नहीं दी गई है। इस संदर्भ में यह भी सूचित किया जाता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई शपथ पत्र अथवा धोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

उक्त सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अनुच्छेद 5(4) के तहत दी जा रही है।

यदि आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,  
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,  
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,  
कानपुर-208017

भवदीय,  
(राकेश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

016